भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2086

(दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

डीसीआईडी योजना

2086. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी) योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में चलाए गए प्रचार अभियानों का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त अवधि के दौरान उनके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या जन जागरूकता और सरकारी योजनाओं में भागीदारी पर इन अभियानों के प्रभाव को मापने के लिए कोई मापदंड या साधन मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया सहित नई प्रौद्योगिकी और प्लेटफार्मों को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) योजना के दायरे या पैमाने का विस्तार करने के लिए सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क): विकास संचार एवं सूचना प्रसार (डीसीआईडी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करना है ताकि लक्षित लाभार्थी विकास योजनाओं का लाभ उठा सकें, विकास और शासन की प्रक्रिया में लोगों की अधिक भागीदारी

सुनिश्चित हो सके और मनोवृत्ति एवं व्यवहार में बदलाव को बढ़ावा मिल सके। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत वित्तीय परिव्यय और निधियों के उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपए में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपए में)
2021-22	209.32	209.32
2022-23	285.48	285.48
2023-24	347.63	347.63
2024-25	169.48	131.11 (दिनांक 04.03.2025 की स्थिति के अनुसार)

(ख): स्कीम के अंतर्गत कार्यकलाप अखिल भारतीय स्तर पर अथवा उक्त अभियान के लक्षित ऑडियन्स के आधार पर की जाती हैं। स्कीम के अंतर्गत कोई राज्य-विशिष्ट अभियान नहीं चलाया जाता।

(ग): स्कीम के अंतर्गत चलाए गए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियानों की प्रभावशीलता सरकार की कल्याणकारी स्कीमों में लाभार्थियों की बढ़ी हुई भागीदारी में परिलक्षित होती है।

(घ) और (ङ): डिजिटल विज्ञापन प्लेटफार्मों जैसे वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, पॉडकास्ट आदि पर सरकारी अभियान जारी करने के लिए मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.11.2023 को डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 को अनुमोदित कर दिया गया है ताकि ऐसे अभियानों की पहुंच बढ़ाई जा सके।

****